बहुमंजलिा आवासीय इमारतों के नविासयिों की सुरक्षा के लयि स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस

चर्चा में क्यों?

29 अप्रैल, 2022 को हरयिाणा के नगर एवं ग्राम आयोजना वभिाग (डीटीसीपी) द्वारा बहुमंजलिा आवासीय इमारतों के नविासयिों की सुरक्षा सुनश्चिति करने के लयि स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस जारी कर दी गई।

प्रमुख बदिु

- नई गाइडलाइन के अनुसार कसिी भी इमारत के नरि्माण के दौरान तीन से चार बार नरि्माण एजेंसी सुरक्षा मानकों को ऑडटि करवाएगी।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह जानकारी गुरुग्राम में आयोजति सेवोकॉन सम्मेलन के समापन सत्र में दी। इसके साथ ही उन्होंने नगर एवं ग्राम आयोजना वभिाग द्वारा तैयार स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस पुस्तकिा का वमिोचन भी कयिा।
- गाइडलाइन के अनुसार सभी पूर्व आवश्यक मानदंडों को पूरा करने के बाद ही बलि्डरों द्वारा नरि्मति आवासीय परसिरों को आरडब्ल्यूए को सौंपा जाएगा।
- यदि बलि्डर्स अपनी कीमतों पर घर बेचते हैं, तो यह सुनश्चिति करना उनकी ज़म्मिेदारी होगी कि सुरक्षा और बुनयिादी ढाँचा मौजूद है या उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए।
- डीटीसीपी ने यह दशिानरि्देश इसलयि जारी कयिा है ताकि यह सुनश्चिति कयिा जा सके कि ऊँची इमारतों में उपयोग की जाने वाली सामग्री और डजिाइन सरकार द्वारा नरि्दषि्ट मानकों और बलि्डगि कोड को पूरा करती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/structural-safety-guidelines-for-the-safety-of-residents-of-multi-storey-residential-buildings